कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री (श्री अरविंद नेताम) (क) भारत सरकार की वे महत्वपूर्ण योजनाय जिनकी तहत पिछले तीन वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित छोट व सीमान्त कृषकों की सहायता दी गई है, निम्नलिखित हैं :—

(1) समन्वित चावल विकास कार्यक्रम

(2) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-गेहूं, मक्का और कदन्न

(3) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे व सीमान्त कृषकों को सहायता;

(4) राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम,

(5 तिलहन उत्पादन कार्यक्रम ;

इन कार्यक्रमो के तहत बीजों, पौध रक्षण रसायनों और उपकरणों, उपस्करों आदि के वितरण के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। 1991–92 के दौरान संशोधन पूर्व दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति के लिए छोटे व सीमान्त कृषकों को भी वित्तीय महायता दी गई थी

उपरोक्त योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को दी गई सहायता का विवरण निम्नलिखित है—

(रुपये लाख में)

	1989–90	1990–91	1991–92
समान्वित चावल विकास कार्यक्रम	600.00	596.07	300.00
विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम–गेहूं	196.93	336.00	116.49
विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम–मक्का व कदन्न–	89.80	157.50	196.00
कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये उथले नलकूपों/खुदे हुये कुओं के लिये छोटे व सीमांत कृषकों को सहायता–	972.69	925.00	675.00
राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम	172.50	119.40	273.52
तिलहन विकास कार्यक्रम	173.35	352.45	520.60
विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम–दालें–	17.75	65.70	79.65
छोटे व सीमांत कृषकों को उर्वरक राजसहायता–	—	—	1447.80

(ग) किसी भी राज्य से नई योजना के लिये विशेष प्रस्ताव नहीं मिला है।

फसलों का संरक्षण

545 **श्री राम नरेश यादव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अधिक कृषि उत्पादन हेतु कीड़ो की रोकथाम/फसलों को सुरक्षित करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष मे क्या-क्या उपाय किए जाने की संभावना है और

(ख) क्या कीटनाशी दवा तैयार करने के लिए कंजड़/नीम जैसे वृक्षों पर कोई प्रयोग किये गये हैं; और यदि हां, तो इन वृक्षों से कितनी कीटनाशी दवा तैयार की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) फसलों को होने वाली हानि को कम करने के लिए कीट नियंत्रण की सांस्कृतिक, यांत्रिक, जीववैज्ञानिक और रासायनिक विधियों युक्त व्यापक उपाय पैकेज को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने उड़ने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए नीम तथा करंज सहित पौध निष्कर्षों पर प्रयोग किए हैं । नीम आधारित चार कीटनाशियों के निरूपण व्यापारिक उपयोग के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत पंजीकृत किए गए हैं ।

कृषि विज्ञान क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये रिक्त पद

546. **श्रीह राम सिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) का यह सच है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अनेक पद खाली हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों का ब्यौरा क्या है और किन-किन केन्द्रों में ये पद खाली हैं; और

(ग) सरकार ने अपने स्तर पर इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठत

शुष्क भूमि खती

547. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शुष्क भूमि खेती के सम्बन्ध में एक नई परियोजना की रूपरेखा तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कार्यान्वियन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री

(श्री अरविंद नेताम) (क) से (ग) जी,हां । पुनर्गठित राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र पनधारा विकास परियोजना निम्नलिखित बातों पर बिशेष ध्यान देते हुए देश में बायोमास के सतत उत्पादन तथा वर्षासिंचित क्षेत्रों के वृहत स्थानों पर पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास करेगी ;

(1) भूमि, जल, वनस्पति, प्राणी तथा मानव संसाधनों जैसे प्रकृति प्रदत्त स्रोतों का एक समान तथा एकीकृत रूप में संरक्षण, उन्नयन तथा उपयोग । इसका उद्देश्य विविध प्रकार के भू-उपयोग के माध्यम से मनुष्य तथा पशुधन संख्या की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भोजन, चारे, ईंधन, रेशे, लकड़ी तथा बायोमास की निरंतर उपलब्धि सुनिश्चित करना है ।

(2) भोजन, ईंधन तथा चारे के अतिरिक्त, इस परियोजना का उद्देश्य आकस्मिक रोजगार बढ़ाने, कृषि तथा डेरी उत्पाद का विपणन अधिशेष, उपयुक्त क्षेत्रों में सब्जियों, धनियां, जीरा, चिकित्सीय महत्व के पौधों आदि के माध्यम से वर्षासिंचित क्षेत्रों के कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों की नकद आमदनी में वृद्धि करना है ।

(3) भूमि वर्षा-जल के वैज्ञानक प्रबंध के माध्यम से उत्पादन पर्यावरण में सुधार तथा पारिस्थितिक संतुलन का पुनःस्थापन